रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042024-253856 CG-DL-E-25042024-253856

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1697]

No. 1697]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 5, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 5, 1946

> कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2024

का.आ. 1789(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम,1996 (1996 का 54) की धारा 8क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को केंन्द्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

धारा 8 क की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन नामानिर्दिष्ट:

सचिव, भारत सरकार

- अध्यक्ष:

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

2696 GI/2024 (1)

```
धारा 8 क की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन नामानिर्दिष्ट:
 1. कृषि निदेशक,
                                                     - सदस्य;
   कृषि निदेशालय,
   मध्य प्रदेश सरकार,
   भोपाल
 2. कृषि निदेशक,
                                                     - सदस्य:
   कृषि निदेशालय,
   गुजरात सरकार,
   गांधीनगर
 3. कृषि निदेशक,
                                                     - सदस्य;
   कृषि निदेशालय,
   कर्नाटक सरकार, बेंगलुरू
 4. कृषि निदेशक,
                                                     - सदस्य;
   कृषि आयुक्तालय,
   महाराष्ट्र सरकार,
    पुणे
 धारा 8 क की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन नामानिर्दिष्ट:
 1. अनुसंधान निदेशक,
                                                     - सदस्य:
   जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय,
   जूनागढ़
 2. अनुसंधान निदेशक, - सदस्य;
    बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,
    रांची
 3. अनुसंधान निदेशक,
                                                     - सदस्य;
   वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ,
   परभणी
 धारा 8 क की उपधारा (2) के खंड (iv) के अधीन नामानिर्दिष्ट:
 1. कृषि आयुक्त,
                                                     - सदस्य:
   कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
   कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
   कृषि भवन, नई दिल्ली
 2. उप महानिदेशक (फसल विज्ञान),
                                                     - सदस्य;
    भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
```

कृषि भवन, नई दिल्ली

3. उप महानिदेशक (बागवानी), - सदस्य; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसन्धान भवन-॥, पुसा कैम्पस. नई दिल्ली 4. संयुक्त सचिव (बीज),- सदस्य; कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली 5. प्रधान. - सदस्य: बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पुसा, नई दिल्ली 6. प्रबंध निदेशक. - सदस्य: आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश 7. प्रबंध निदेशक, - सदस्य: मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म एवं विकास निगम, भोपाल, मध्य प्रदेश 8. प्रबंध निदेशक. - सदस्य; ओडिशा राज्य बीज निगम. भुबनेश्वर, ओडिशा 9. प्रबंध निदेशक. - सदस्य: तमिलनाडु राज्य बीज विकास अभिकरण. कृषि निदेशालय, चेपॉक, चेन्नई

[फा. सं. .सं.2-17 /2015 एस.डी.IV] पंकज यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2024.

S.O. 1789(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8A of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Central Seed Certification Board for a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

Nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 8A:	
Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.	- Chairman;
Nominated under clause (ii) of sub-section (2) of section 8A:	
 Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. 	- Member;
2. Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, Government of Gujarat, Gandhi Nagar.	- Member;
3. Director of Agriculture, Directorate of Agriculture, Government of Karnataka, Bengaluru.	- Member;
4. Director of Agriculture, Commissionerate of Agriculture, Government of Maharashtra, Pune.	- Member;
Nominated under clause (iii) of sub-section (2) of section 8A:	
 Director of Research, Junagarh Agricultural University, Junagarh. 	- Member;
2. Director of Research, Birsa Agricultural University, Ranchi.	- Member;
3. Director of Research, Vasantrao Naik Marathwada KrishiVidyapeeth, Parbhani. Nominated under clause (iv) of sub-section (2) of section 8A:	- Member;
 Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi. 	- Member;

9. Managing Director,

Tamil Nadu State Seed Development Agency, Agriculture Directorate, Chepauk, Chennai.

> [F. No. 2-17 /2015-SD.IV] PANKAJ YADAV, Jt. Secy.

- Member;